निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 कार्तिक 1948 (श0)

(सं0 पटना 1346) पटना, शुक्रवार, 30 अक्तूबर 2026

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 237, दिनांक 30 अक्तूबर 2026—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 12, 2017) की धारा 51 के साथ पठित धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा, वाणिज्य–कर विभाग की अधिसूचना संख्या– एस0ओ0 238 दिनांक 13 सितंबर 2018, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 847, दिनांक 13.09.2018, द्वारा प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

उक्त अधिसूचना में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति जो किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति से निम्नलिखित में से किसी भी माल की आपूर्ति प्राप्त करता है, अर्थात्:-

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष 1518 के अंतर्गत आने वाला खाना पकाने का प्रयुक्त तेल;

(ii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 3915 के अंतर्गत आने वाले प्लास्टिक के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iii) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 4004 के अंतर्गत आने वाले टायरों के अपशिष्ट और स्क्रैप;

(iv) उक्त प्रथम अनुसूची के अध्याय 72 से 81 के अंतर्गत आने वाला धातु स्क्रैप; या

(v) उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष 8549 के अंतर्गत आने वाले विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और स्क्रैप";

2. यह अधिसूचना 1 नवंबर, 2026 से प्रभावी होगी।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–22) 4170)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

30 अक्तूबर 2026

एस० ओ० 237, दिनांक 30 अक्तूबर 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०– बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017 (खंड–22) 4170)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
राज्य–कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 30th October 2026

S.O. 237, Dated 30th October 2026— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 read with section 51 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the Commercial Taxes Department notification No. S.O. 238 Dated 13th September 2018, published in the Bihar Gazette, extraordinary, vide number 847 dated 13th September 2018, namely: —

In the said notification, for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

"(d) any registered person receiving supply of any of the following goods from another registered person, namely: -

(i) used cooking oil falling under heading 1518 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) waste and scrap of plastics falling under heading 3915 of the said First Schedule;

(iii) waste and scrap of tyres falling under heading 4004 of the said First Schedule;

(iv) metal scrap falling under Chapters 72 to 81 of the said First Schedule; or

(v) electrical and electronics waste and scrap falling under heading 8549 of the said First Schedule";

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of November, 2026.

[(FileNo Bikri kar/GST/vividh-21/2017(Part-22) 4170)]
By the order of Governor of Bihar,
SANJAY KUMAR SINGH,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1346-571+10-डी0टी0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in